निरीक्षण टिप्पणी तहसील सरीला

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:-	सन्ध्या तिवारी
पद नाम	:-	जिलाधिकारी हमीरपुर
निरीक्षण का दिनांक	:-	27.12.2014

दिनांक 27.12.2014 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 के अ0शा0 पत्र सं0. 5644/12 पी.एस./अध्यक्ष–2014 /10एच दिनांक 19.09.2014 मे दिये गये तहसील कार्यालय के निरीक्षण हेतु चैक प्वाइन्ट के अनुसार तहसील कार्यालय सरीला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री रामसुरेश वर्मा, उप जिलाधिकारी सरीला, श्री दूधनाथ राम, तहसीलदार सरीला, श्री मदन मोहन अवस्थी प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट हमीरपुर एवं तहसील स्टाफ उपस्थित रहा।

तहसील सरीला का गत निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.07.2013 को किया गया जिसकी अनुपालन आख्या 20–11–2013 तथा जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 24.08.2013 को तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया जिसकी अनुपालन आख्या दिनांक 30–09–13 को प्रेषित की जा चुकी है तथा उप जिलाधिकारी,सरीला द्वारा दिनांक 2–6–14 को निरीक्षण किया गया जिसकी अनुपालन आख्या 17–6–2014 को प्रेषित की गयी है। निरीक्षण सम्बन्धी गार्ड फाईल प्रस्तुत नही की गयी। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय गार्ड फाईल अवश्य प्रस्तुत की जाये।

(1)–तहसील परिसर :–

1.1– तहसील भवन नया बना हुआ है। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि नवीन भवन अभी राजस्व विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुआ है। भवन को देखने से ऐसा मालूम होता है कि भवन की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। फर्श के टाईल्स कई जगह धंसे हुए पाये गये। खिडकियों के शीशे अधिकांश जगह टूटे पाये गये तथा दरवाजों पर लगे हुए कुण्डे भी टूटे हुए मिले। उप जिलाधिकारी, सरीला को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को पत्र भेजकर समस्त आवश्यक कार्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से पूर्ण करायें तथा भवन के हस्तान्तरण की कार्यवाही कमियों को पूर्ण कराने के उपरान्त करें। तहसील परिसर में पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। कार्यदायी संस्था द्वारा बनाये गये ओ0एच0टी0 भी क्रियाशील नहीं है जिसके कारण तहसील में आनेवाली जनता एवं वादकारियों को असुविधा होती है। तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि

परिसर की साफ सफाई हेतु कोई कर्मचारी राजस्व विभाग का नियुक्त नहीं है। नगर पंचायत, सरीला का एक सफाई कर्मचारी परिसर की साफ सफाई हेतु लगाया गया है।

आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को भी देखा गया। कार्य अपूर्ण है। जबकि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि मा0 राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। फिर इन भवनों का निर्माण कार्य क्यों नहीं पूर्ण हो पा रहा है,इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था पैकपेड से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये और इनके विरूद्ध मा0 शासन एवं परिषद को पत्र भेजा जाये।

तहसील भवन में वर्षा मापी यंत्र उपलब्ध नही है, जिससे तहसील सरीला की वर्षा का रिकार्ड उपलब्ध नही हो पा रहा है। नाजिर सदर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील सरीला में एक वर्षा मापी यंत्र यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाये।

2–राजस्व न्यायालयः–

तहसील हमीरपुर मे नायब तहसीलदार के 2 पद स्वीकृत है। वर्तमान में कोइ नायब तहसीलदार तहसील में कार्यरत नहीं है। राजस्व सहायक को निर्देशित किया जाता है कि नायब तहसीलदारों की तैनाती हेतु मा0 राजस्व परिषद को शीघ्र ही पत्र भिजवायें। इनके न्यायालय का कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है। माह मे न्यायालय मे बैठने के 16 न्यायिक कार्य दिवस निर्धारित है। निर्धारित न्यायिक दिवसो अथवा उससे अधिक दिवसो पर पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि न्यायिक कार्य दिवस मे बैठकर अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मानक के अनुसार निर्धारित वादो का दायरा न होने के कारण निर्धारित मानक के अनुसार निस्तारण नही हो पा रहा है परन्तु दायरे के सापेक्ष निस्तारण शत प्रतिशत किया जा रहा है। इश्तहार समुचित तरीके से निर्गत व तामीला किये जा रहे है। उप निबन्धक कार्यालय से प्राप्त होने वाले विक्रय पत्रो को दर्ज रजिस्टर करते हुये लेखपालो से हस्तान्तरण रिपोर्ट प्राप्त कर नियामानुसार इश्तहार जारी कर दाखिल खारिज की कार्यवाही स्वप्रेणना से की जा रही है। धारा 34 के अंतर्गत लम्बित सबसे पुराने 3 वादोंकी पत्रावलियां देखी गयी।जिनके मु.नं. क्रमशः 01/03/6/43/324/326/325/79 दायरा तिथि 3–11–10 दृगपाल वनाम महादेव, 215/10/105 सन्2011 ग्राम ममना शैलेश कुमार वनाम कल्लू सिंह, 3/7/17/200/201 वर्ष 2011 कटहरी/बिलगाव लोटन वनाम जगरानी है। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त तीनो वादो को इसी माह के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। धारा 41 एल0आर0 के अंतर्गत 2012 के पूर्व को कोई वाद विवरण पत्र में उल्लिखित नहीं किया गया है,जबकि मिसिलबंद रजिस्टर में धारा 41 एल0आर0 के 2012 के पूर्व के कई वाद लम्बित चल रहे हैं। रजिस्टर में प्रत्येक वाद का नम्बर अलग–2 नहीं दिया गया है। निर्देश दिये गये कि एक्ट में दिये गये प्रावधिानों के अनुसार धारावाईज विवरण बनाया जाये।

तहसीलदार न्यायालय मे 12 व नायब तहसीलदार जरिया 04 व नायब तहसीलदार जलालपुर में 11 कुल 27 पत्रावलियां दाखिल दफ्तर हेतु अवशेष है । तहसीलदार सरीला को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष दाखिल दफ्तर हेतु पत्रावलिया एक पक्ष के अन्दर अभिलेखार माल कलेक्ट्रेट हमीरपुर मे दाखिल कराना सुनिश्चित करें। मा0 न्यायालयों से प्राप्त परवाना अमलदरामदो को आर. –6 मे अमलदरामद कर कम्प्यूटर खतौनी मे दर्ज किया जा रहा है । निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि आर–6 रजिस्टर सहित कम्प्यूटर आपरेटर के पास भेजा जा रहा है,स्लिप बनाकर नहीं दी जा रही है।

(3)–राजस्व संग्रहः–

तहसील सरीला में विविध देय की शुद्ध मांग कुल 1,01,29,102–00रुपये है जिसके सापेक्ष कुल मु0 83,65,424–00रुपये की वसूली की गयी है जो 83 प्रतिशत है। भू–राजस्व की मांग 2,61,358–00 रू0 है जिसके सापेक्ष मु0 76,105–00 रू0 काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से जमा किये गये है। बसूली का निर्धारण नही हुआ है। दस सबसे बड़े बकायेदारो की वसूली पत्रावलिया निर्मित है। निर्देश दिये गये कि इन पत्रावलियों में बांयी ओर पूरा विवरण अंकित किया जाये,जिसमें बकायेदार के विरूद्ध निर्गत साइटेंशन,वारंट व कुर्की आदि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अंकित हो। कृषक देयों पर शासनादेश संख्या–318/01–11–2014 –18(जी)/2006 दिनांक 16.09.2014 द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यावाही पर रोक लगा दी गयी है। किन्तु काश्तकारों द्वारा स्वतः जो धनराशि जमा की जाती है उसको मांग एवं वसूली में प्रदर्शित किया जा रहा है। बड़े बकायेदारो में विद्युत